

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड—(ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 442] नई दिल्ली, शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 1970/अग्रहायण 20, 1892

No. 442] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 1970/AGRAHAYANA 20, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 11th December 1970

S.O. 3935/15/IDRA/70.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in partial modification of order No. 2063/15/IDRA/70, dated the 2nd June, 1970, of late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development), the Central Government hereby appoints Shri A. R. Khare, Senior Accounts Officer, Office of the Regional Director, Bombay, as a member of the body of persons appointed to make investigation into the affairs of the Jaya Shankar Mills, Barsi Ltd. Barsi, Distt. Sholapur (Maharashtra), vice Shri V. A. Mahajan.

[No. F.9(9)/Lic.Pol./70.]

D. N. SINGH, Jt. Secy.

(1937)

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1970

का० आ० 3935/15/आई डी आर ए/70:—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय औद्योगिक (विकास विभाग) के आदेश सं० 2063/15/आई डी आर ए/70, दिनांक 2 जून, 1970 का आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, बम्बई के कार्यालय में वरिष्ठ लेखा अधिकारी, श्री ए० आर० खेर को, श्री बी० ए० महाजन के स्थान पर, दि जय शंकर मिल्स, बारसी लि०, बारसी, जिला शोलापुर (महाराष्ट्र), के मामलों की जाँच करने के प्रयोजनार्थ नियुक्त किए गए व्यक्तियों के निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[सं 9(9) एल०आई०सी० पोल०/70]

के० डी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव।